निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 67/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती रूकमणी देवी पुत्री स्व॰ श्री भरताराम मीना (पत्नी ओमकार मल मीणा) जाति मीणा निवासी ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर । हाल निवासी ढाणी विलासा की, तन जयरामपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनमोहन मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. हजारी लाल पुत्र स्व॰ श्री भरताराम
3. केदार मल पुत्र स्व॰ भरता राम

   जाति मीणा, निवासी ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, शाहपुरा, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 175/2013 (30/2004) मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 172/2013 (21/2004) ब उनवानी श्रीमती फूला देवी (मृतक दौराने दावा) बनाम हजारी लाल व अन्य को अग्रिम सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 175/2013 (30/2004) मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 172/2013 (21/2004) ब उनवानी श्रीमती फूला देवी (मृतक दौराने दावा) बनाम हजारी लाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।

जिला कलक्टर
जयपुर

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर को प्राप्त हुई जो पूर्व वाद संख्या 30/2004 पर विचारण में नियत की गई और काफी लम्बी अवधि पश्चात दिनांक 21.08.2015 को नये वाद संख्या 175/2013 पद दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 02.05.2013 के पश्चात कुल 24 पेशियां रबर मोहर द्वारा संधारित की गई जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व अदालतों को यह स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि आदेशिकाएं रबर मोहर से संधारित नहीं करे। बल्कि हस्तलिखित या टाईपशुदा आदेशिकाएं संधारित करें। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा द्वारा इसके बावजूद भी रबर मोहर से 24 आदेशिकाएं संधारित करते हुऐ 25 वीं आदेशिका दिनांक 26.06.2015 को हस्तलिपि में संधारित करके उक्त पत्रावली को लोक अदालत कैम्प अमरसर में नियत की गई। जबकि पक्षकारान को पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत करने की कोई सूचना व नोटिस नहीं दिये गये। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19 में लोक अदालत का गठन व उनकी कार्यप्रणाली बताई गई है एवं धारा 20 में लोक अदालत में चिहिन्त एवं नियत किये जाने वाले मामलों की कटैगरी के बारे में बताया गया है। धारा 20 (1) में स्थापित विधि के तहत लोक अदालत में उन्हीं मामलों को चिन्हित एवं नियत किया जा सकता है जिनमें सभी पक्षकारान ने सहमति दे दी हो और पक्षकारों ने सयुंक्त रूप से लोग अदालत में मामले का निपटारा कराने के लिए आवेदन पेश कर दिया हो, परन्तु मौजूदा वाद में किसी भी पक्षकार ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली को लोक अदालत में नियत करने की सहमति बाबत कोई आवेदन नहीं किया और ना ही पक्षकारों ने सहमति जताई । वादिया की ओर से दिनांक 14.05.2012 को जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी. पी.सी. हेतु नियत था। जिसको लोक अदालत में नियत नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों की पुनः घोर अवहलेना करते हुए निरन्तर 8 आदेशिकाएं रबर मोहर से संधारित कर दी गई। आदेशिका दिनांक 26.11.2015 हस्तलिपि में 03.12.2015 हस्तलिपि में तथा रबर मोहर से दिनांक 21.01.2015, 02.02.2016 17.03.2016 व 24.04.2016 संधारित कर वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में निरन्तर अनियमित रूप से क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए विधिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए विधि विरूद्ध विधिक प्रकिया अपनाई जा रही है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2016 की पुनः दूसरी बार पत्रावली को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प अमरसर में नियत कर दी गई और आदेशिका में अंकित किया कि पक्षकारान में आपसी समझौता नही होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। जबकि आपके द्वार लोक अदालत में नियत कर दिया गया तथा ना ही कोई पक्षकार लोक अदालत में उपस्थित हुआ और ना ही किसी पक्षकार के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर आदेशिका पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में आपसी समझौता नहीं होने की टिप्पणी सर्वथा गलत अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई उक्त विधिक प्रकिया कतई गलत मनमर्जी पूर्ण एवं क्षेत्राधिकार विहिन है । विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19 व 20 में स्थापित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

जिला कलक्टर
जयपुर

न्यायिक दृष्टान्त आर बी जे (25) 2018 पेज 678 से 680 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Contested Suit में लोक अदालत में निर्णय नहीं कर सकते है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार बार उक्त सिद्धान्त की अवहेलना की गई। उक्त वाद की आदेशिकाओं के अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष पत्रावली त्वरित न्याय की दिशा में अग्रसर होकर विचाराधीन रही और उसके पश्चात दिनांक 02.05.2013 को जब पत्रावली स्थानान्तरित होकर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष लम्बित हुई तब से पत्रावली का विधिवत विधिक प्रकिया व त्वरित न्याय की दिशा से भटका दी गई और पत्रावली को दिशाहीन दिशा में लेकर त्वरित न्याय के सिद्धान्तों पर गम्भीर कुठाराघात किया गया और साथ ही विधिक प्रकिया का गम्भीर रूप से दुरूपयोग किया गया तथा विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19 व 20 में प्रतिस्थापित प्रावधानों एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्तः सिद्धान्तों का जानबूझ कर उल्लंघन करते हुए विधि एवं न्यायिक कार्यवाही की धज्जियां उड़ा दी गई है।

5. दिनांक 11.02.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) ने प्रार्थीया/वादिया के कई परिचित व्यक्तियों को कहा कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी को हमने विधायक साहब से फोन करवा रखा है और विधायक साहब के माध्यम से हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत होती रहती है तथा पीठासीन अधिकारी ने हमें पूर्ण भरोसा व विश्वास दिलाया है कि वह वादी का दावा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर देंगे। उक्त बात सुन कर वादिया आश्चर्यचकित हो गई । प्रार्थी/वादिया उक्त वाद में नियत पेशी दिनांक 19.02.2021 को न्यायालय में अपने प्रकरण की पैरवी करने गई और दोपहर लगभग 1.30 बजे प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाते हुए देखा और वहां पर पीठासीन अधिकारी के साथ बैठ कर चाय नाश्ता करते हुए भी देखा गया और कुछ समय पश्चात पीठासीन अधिकारी ने चपरासी को बुला कर उक्त प्रकरण की पत्रावली को चैम्बर में मंगवाई और उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 व 3 हंसते हुये चैम्बर से बाहर निकले तो प्रार्थी को निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थी के परिचितों को कही गई बात सत्य है और प्रार्थी को अब अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है और यही कारण है कि अप्राथी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी विधिक प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी पूर्ण कार्यवाही करते आ रहे हैं। उक्त परिस्थितियों में उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में अग्रिम सुनवाई व निस्तारण हेतु मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

6. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थिया ने स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है । प्रार्थिया उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए उक्त प्रकरण के निस्तारण में डिले करना चाहती है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. प्रार्थिया ने बिना नोटिस दिये पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखने का आरोप लगाया है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि राजस्व लोक अदालत में ग्राम पंचायत की सभी पत्रावलियां कैम्प में ले जाई गई थी। जिन प्रकरणों में पक्षकारान में राजीनामा/समझौता नहीं हुआ उन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं कर न्यायालय में विधिक सुनवाई हेतु तारीख पेशी नियत कर दी गई है। उभय पक्ष को सुनने व पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी के अवलोकन से परिलक्षित होता है की प्रार्थिया ने कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 III, में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। चूंकि प्रार्थिया द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है और मुन्तकिल प्रार्थना पत्र भी प्रार्थिया द्वारा ही पेश किया गया है। इससे प्रार्थिया की स्थगन आदेश को जारी रखने एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा को प्रेपित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

14/03/22

(रतन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर